



कार्यालय कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी जबलपुर

दिनांक 03.04.2024

- निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा पाठ्य पुस्तकें, अन्य स्टेशनरी सामग्री, यूनिफार्म, टाई, जूते आदि अधिक मूल्य पर चयनित दुकान विशेष से क्रय करने के लिए अनुचित दबाव बनाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर निम्नलिखित 18 स्कूलों के प्रबंधन के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 के तहत प्रकरण दर्ज विधिक कारवाई प्रारंभ।
 - स्टैमफील्ड इन्टरनेशनल स्कूल विजयनगर जबलपुर के विरुद्ध नियम विरुद्ध विगत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत फ़ीस वृद्धि किए जाने की शिकायत को भी संज्ञान में लिया गया है।
 - शिकायत सही पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध 2 लाख रुपये तक की शास्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ स्कूल की मान्यता को भी निलंबित अथवा रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है।
 - प्राप्त शिकायत की जाँच और खुली सुनवाई गठित कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की जाएगी। खुली सुनवाई में अभिभावकों और अन्य संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य और कथन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।
 - अभिभावक गण को अपना पक्ष गोपनीय तरीके प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया जाएगा।
1. श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल जबलपुर
 2. सेंट एलायसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पोली पठार जबलपुर
 3. स्टैमफील्ड इन्टरनेशनल स्कूल विजयनगर जबलपुर
 4. रेयान इन्टरनेशनल स्कूल जबलपुर
 5. आर्किड इन्टरनेशनल स्कूल भेडाघाट रोड जबलपुर

6. केयर पब्लिक स्कूल नेपियर टाउन जबलपुर
7. विजडम वैली स्कूल जबलपुर
8. माउंट लिटेरा जी स्कूल जबलपुर
9. सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सदर जबलपुर
10. सेंट फ्रान्सिस हाईस्कूल खमरिया जबलपुर
11. क्राइस्ट चर्च कोएड स्कूल सालीवाडा जबलपुर
12. जुपिटर इन्टनेशनल स्कूल जबलपुर
13. आयडियल स्कूल जबलपुर
14. क्राइस्ट चर्च डायसियन स्कूल घमापुर जबलपुर
15. क्षितिज माडल हाईस्कूल जबलपुर
16. नचिकेता स्कूल जबलपुर
17. कमलादेवी पब्लिक स्कूल करौंद जबलपुर
18. लिटिल हार्ट स्कूल भेडाघाट चौराहा जबलपुर
